

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान, जयपुर

“ ए ” ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर-302005

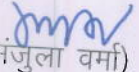
(दूरभाष 0141-2740735, फ़ैक्स 0141-2742309 Email- jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1) (6) अलेसे 111/ 379

दिनांक :- 30-06-2017

आदेश संख्या : 88/ 2017-2018

विभागीय आदेश क्रमांक:- एफ4 (ई)(1) (6) अलेसे 111/63 दिनांक 30.06.2017 द्वारा क्रम संख्या 267 पर अंकित श्री अभिषेक कुमार नागला पुत्र श्री कैलाश चन्द नागला, रोल नम्बर 815223, मेरिट नम्बर 1274 का कनिष्ठ लेखाकार के पद पर पदस्थापन वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, RWSSMB, जयपुर कार्यालय कोड 8526 में किया गया था, श्री नागला की उक्त आदेश द्वारा की गई नियुक्ति को राजस्थान लोक सेवा आयोग के पत्रांक एफ 7(38)परीक्षा'ख' /क.ले./2012-13/ 105 दिनांक 23.06.2017 के क्रम में तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है।

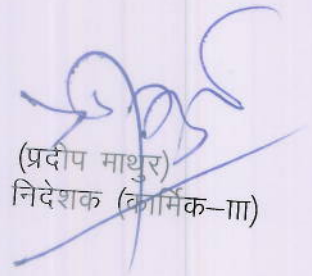

(मंजुला वर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ4 (ई)(1) (6) अलेसे 111/ 379

दिनांक :- 30-06-2017

प्रतिलिपि निमांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. वित्तीय सलाहकार एवं मुख्यलेखाधिकारी, RWSSMB, जयपुर कार्यालय कोड 8526 को प्रेषित कर लेख है कि श्री अभिषेक कुमार नागला (मेरिट नम्बर 1274) की नियुक्ति निरस्त की जा चुकी है, अतः इन्हे कार्यग्रहण नहीं करावें।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, जयपुर को प्रेषित लेख है कि वे उक्त आदेश को संबंधित कार्यालय में सर्व कराया जाना सुनिश्चित करें, उक्त अभ्यर्थी का कार्यग्रहण नहीं किया जाना सुनिश्चित करें।
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक।
5. उपनिदेशक (एसीपी) कोष एवं लेखा जयपुर को कम्प्यूटर पर अपलोड करने एवं पीआईएस रिकार्ड संधारण हेतु।
6. रक्षित / निजी पत्रावली।


(प्रदीप माथुर)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-111)